न्यायालयः अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम-2, हिण्डौनसिटी, जिला करौली।

पीठासीन अधिकारी **: सुमरथ लाल मीना**, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या (CIS)–483/2026

1–गौरव उर्फ गौरा पुत्र रामखिलाडी आयु करीब 30 साल निवासी गडोरा पुलिस थाना सिकन्दरा जिला दौसा। ---प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम्

राजस्थान सरकार ---अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं./483 बीएनएसएस
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं–24/19, पुलिस थाना गढमोरा,
अंतर्गत धारा 399, 402 भा.दं.सं. व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
(सैशन प्रकरण सं–87/19, सर/दिनेश वगै., न्यायालय हाजा)

उपस्थितः
अधिवक्ता श्री श्रीभानसिंह गुर्जर, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
अपर लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र खैमरिया, राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांकः 16.07.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं./483 बीएनएसएस जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई तथा संबंधित प्रकरण पत्रावली तलब की जाकर जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।
2. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा इस आशय का निवेदन किया गया है कि प्रार्थी जानबूझकर न्यायालय में अनुपस्थित नहीं रहा है। प्रार्थी मजदूरी करने, कमाने खाने के लिए बाहर चला गया था। इस कारण पेशी पर नहीं आ पाया और ना ही अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सका। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार माकूल जमानत पेश करने को तैयार है। अतः उसे जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे।
3. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।
4. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि दौराने अन्वीक्षा प्रार्थी/अभियुक्त के स्वेच्छया अनुपस्थित रहने पर दिनांक 13.08.25 को उनके जमानत मुचलके जब्त सरकार किए जाकर धारा 446 दं.प्र.सं. की कार्यवाही पृथक से खोली गई तथा गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया गया था। तत्पश्चात अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं होने पर दिनांक 12.05.26 को मफरूर

घोषित किया गया। जिसके उपरांत दिनांक 09.07.26 को प्रार्थी/अभियुक्त को अन्य सैशन प्रकरण सं–99/19, सरकार बनाम दिनेश उर्फ गौरव में उपस्थित आने पर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह आश्वासन दिलाया गया कि भविष्य में प्रत्येक तारीख पेशियों पर अभियुक्त नियमित न्यायालय में उपस्थित आता रहेगा। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों एवं अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी व्यक्त किए बिना अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **गौरव उर्फ गौरा** की ओर से पेश किया गया यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं./483 बीएनएसएस स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त न्यायालय में विचारण के दौरान नियमित उपस्थिति बाबत 50,000/–रूपए का स्वयं का मुचलका एवं 25,000–25,000/–रूपए की दो जमानतें इस न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं होने पर उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(**सुमरथ लाल मीना**)

6. आदेश आज दिनांक 16.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(**सुमरथ लाल मीना**)